

[(देखिए नियम 59(1))]

सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी के लिए नाम- निर्देशन

जब सरकारी कर्मचारी का परिवार हो तथा वह एक सदस्य को या उसके एक से अधिक सदस्यों को नाम-निर्देशित करना चाहता है।

मैं एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, नाम-निर्देशित करता हूँ तथा उसे/उन्हें नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक, ग्रेच्युटी को प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हूँ, जिसके भुगतान के लिए, सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु के होने पर, सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा तथा मेरी मृत्यु पर नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक ऐसी किसी ग्रेच्युटी को प्राप्त करने का अधिकार उसे/उन्हें प्रदत्त करता हूँ जो सेवानिवृत्ति पर मुझे स्वीकार्य हो चुका है किन्तु मेरी मृत्यु पर अदत्त रह गया है।

मूल नाम निर्देशित नाम निर्देशित/ नाम निर्देशितियों के नाम व पते	सरकारी कर्मचारी के साथ सम्बन्ध	आयु	1. प्रत्येक को भुगतान – योग्य ग्रेच्युटी के हिस्से की राशि
1	2	3	4

वैकल्पिक नाम निर्देशित	
व्यक्ति या व्यक्तियों के, यदि कोई हो, नाम, पते, सम्बन्ध एवं आयु जिनको नाम-निर्देशित को प्रदत्त किया गया अधिकार, नाम निर्देशित के सरकारी कर्मचारी से पूर्व मरने पर या सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद किन्तु ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त करने से पहले, नाम-निर्देशित की मृत्यु पर, प्रदत्त किया गया है।	2. प्रत्येक को भुगतान – योग्य ग्रेच्युटी का हिस्सा उसकी राशि
5	6

यह नाम – निर्देशन दिनांक को मेरे द्वारा दिए गए नाम-निर्देशन को अधि-कमित करता है जो कि रद्द कर दिया गया है।

टिप्पणी:- (i) सरकारी कर्मचारी अन्तिम प्रविष्टि के नीचे खाली जगह में आरपार रेखायें खींच देगा ताकि उसके हस्ताक्षर करने के बाद कोई नया नाम निविष्ट करने से रोका जा सके।

(ii) जो लागू न हो उसे काट दें।

आज दिनांक माह.....सन्
स्थान पर

साक्षियों के हस्ताक्षर

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

1.

2.

(कार्यालय अध्यक्ष द्वारा भरे जाने के लिए)

..... द्वारा नाम – निर्देशन
..... पद

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
तारीख

[(देखिए नियम 59(1))]

सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी के लिए नाम- निर्देशन

जब सरकारी कर्मचारी का कोई परिवार न हो तथा वह एक व्यक्ति को या एक से अधिक व्यक्तियों को नाम-निर्देशित करना चाहता है।

मैं अपना परिवार नहीं होने पर, एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को, नाम-निर्देशित करती हूँ तथा उसे/उन्हें नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक, ग्रेच्युटी को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती हूँ, जिसके भुगतान के लिए, सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु के होने पर, सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा तथा मेरी मृत्यु पर नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक ऐसी ग्रेच्युटी को प्राप्त करने का अधिकार उसे/उन्हें प्रदत्त करती हूँ जो सेवानिवृत्ति पर मुझे स्वीकार्य हो चुका है किन्तु मेरी मृत्यु पर अदत्त रह गया है।

मूल नाम निर्देशित नाम निर्देशित/ नाम निर्देशितियों के नाम व पते	सरकारी कर्मचारी के साथ सम्बन्ध	आयु	1. प्रत्येक को भुगतान - योग्य ग्रेच्युटी के हिस्से की राशि
1	2	3	4

वैकल्पिक नाम निर्देशित	
व्यक्ति या व्यक्तियों के, यदि कोई हो, नाम, पते, सम्बन्ध एवं आयु जिनको नाम-निर्देशित को प्रदत्त किया गया अधिकार, नाम निर्देशित के सरकारी कर्मचारी से पूर्व मरने पर या सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद किन्तु ग्रेच्युटह का भुगतान प्राप्त करने से पहले, नाम-निर्देशित की मृत्यु पर, प्रदत्त किया गया है।	2. प्रत्येक को भुगतान - योग्य ग्रेच्युटी का हिस्सा उसकी राशि
5	6

यह नाम - निर्देशन दिनांक को मेरे द्वारा दिए गए नाम-निर्देशन को अधि-कमित करता है जो कि रद्द कर दिया गया है।

टिप्पणी:- (i) सरकारी कर्मचारी अन्तिम प्रविष्टि के नीचे खाली जगह में आरपार रेखायें खींच देगा ताकि उसके हस्ताक्षर करने के बाद कोई नया नाम निविष्ट करने से रोका जा सके।

(ii) जो लागू न हो उसे काट दें।

आज दिनांक माह सन्
स्थान पर

साक्षियों के हस्ताक्षर

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

1.

2.

(कार्यालय अध्यक्ष द्वारा भरे जाने के लिए)

..... द्वारा नाम - निर्देशन
..... पद

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
तारीख

1. इस कालम को इस तरह भरा जाना चाहिए कि उसके अन्तर्गत ग्रेच्युटी की सम्पूर्ण राशि आ सके।
2. इस कालम में दिखाई गयी ग्रेच्युटी की राशि/ हिस्से में मूल नाम-निर्देशित/नाम निर्देशितियों को भुगतान योग्य पूर्ण राशि/ हिस्सा शामिल होना चाहिए।